



# AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



**प्रेसनोट थाना डौकी जनपद आगरा ।**

**14.09.2021**

## थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब बनाने वाले वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार...

दिनांक 13.09.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर आये अभियुक्त मनोज व हेमन्त से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताये अनुसार अन्य तीन साथियों अभियुक्त दारा सिंह, हरिओम व बन्टू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके द्वारा एच.एस. मैरिज होम इरादतनगर से नकली शराब फैक्ट्री के उपकरण बरामद कराये गये।

### पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर मनोज व हेमन्त ने बताया कि हम पांचो लोग अपने साथी रामू पुत्र गोवर्धन के साथ इसी मैरिज होम की किचन में नकली शराब बनाते थे। और रामू की मैक्स गाड़ी व अपनी अन्य गाड़ियों से माल लाने व ले जाने के लिये प्रयोग करते थे। हम शराब बनाने के लिये कैमिकल तथा रैपर, खाली पउआ, ढक्कन व क्यूआर कोड आदि की व्यवस्था कर नकली शराब बनाते थे। हमारे द्वारा बनाई गयी शराब को हम सब मिलकर शमशाबाद, डौकी व ताजगंज सहित आस-पास के क्षेत्रों में वितरण कर सरकारी ठेका व गाव के लोगों के माध्यम से बिक्री करते थे तथा उससे प्राप्त रूपयों को आपस में बांट लेते थे।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया की हम जिन उपकरणों से शराब बनाते थे। उन सबको अपनी निशानदेही पर बरामद करा सकते हैं। जो हमने मैरिज होल में बने एक कमरे में छिपाकर रख दिये हैं। अभियुक्तों द्वारा बताये स्थान पर पहुंच फैक्ट्री के सामान को बरामद कर लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. दारा सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी करोधना थाना इरादतनगर जनपद आगरा।
02. हरिओम पुत्र मुन्ना लाल निवासी इरादतनगर थाना इरादतनगर जनपद आगरा।
03. बन्टू उर्फ भारतेन्द पुत्र मुन्ना लाल निवासी इरादतनगर थाना इरादतनगर जनपद आगरा।

### बरामदगी का विवरण:-

01. 02 पैकिंग मशीन लोहे की।
02. 02 बड़े ड्रम प्लास्टिक के।
03. 01 कटा हुआ ड्रम प्लास्टिक का।

04. 01 जग स्टील का।
05. 01 कट्टी छोटी।
06. 01 बाल्टी स्टील की।
07. 01 छोटी टंकी स्टील की।
08. 01 पाइप प्लास्टिक का।
09. 01 प्लास्टिक तसला।
10. 38 अद्व प्लास्टिक की खाली शीशी।
11. 80 रैपर फाइटर।
12. 41 ढक्कना।
13. 194 क्यूआर कोड व अपमिश्रित देशी शराबा।
14. 34 पउआ देशी शराबा।

### अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

#### ● अभि० दारा सिंह का आपराधिक इतिहास:-

01. मु०अ०सं 204/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि० थाना डौकी जनपद आगरा।
02. मु०अ०सं 205/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि० थाना डौकी जनपद आगरा।
03. मु०अ०सं 206/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि० थाना डौकी जनपद आगरा।
04. मु०अ०सं 207/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि० थाना डौकी जनपद आगरा।
05. मु०अ०सं० 758/20 धारा 419/420/467/468 भादवि व 60/72 आबकारी अधि० थाना ताजगंज जनपद आगरा।
06. मु०अ०सं० 87/20 धारा 272/420/467/468/471 भादवि व 60/60(क)/72 आबकारी अधि० थाना मलपुरा जनपद आगरा।
07. मु०अ०सं० 02/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना शमशाबाद जनपद आगरा।
08. मु०अ०सं० 44/18 धारा 147/148/452/307/324/323/504 भादवि थाना इरादतनगर जनपद आगरा।
09. मु०अ०सं० 106/21 धारा 147/148/149/307/323/504 भादवि थाना इरादतनगर जनपद आगरा।
10. मु०अ०सं० 25/11 धारा 63(क)/63(ब) कापीराईट एक्ट व 3/8 सिनेमा अधि० थाना सैया जनपद आगरा।

11. मु0अ0सं0 395/21 धारा 272/273/304 भादवि व 60(क) आबकारी अधि0 थाना ताजगंज जनपद आगरा।

12. मु0अ0सं0 596/21 धारा 272/273/304 भादवि व 60(क) आबकारी अधि0 थाना ताजगंज जनपद आगरा।

13. मु0अ0सं0 597/21 धारा 272/273/304 भादवि व 60(क) आबकारी अधि0 थाना ताजगंज जनपद आगरा।

● **अभि0 हरिओम का आपराधिक इतिहास:-**

01. मु0अ0सं 204/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं 205/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

03. मु0अ0सं 206/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

04. मु0अ0सं 207/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

● **अभि0 बन्टू उर्फ भारतेन्द का आपराधिक इतिहास:-**

01. मु0अ0सं 204/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

02. मु0अ0सं 205/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

03. मु0अ0सं 206/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

04. मु0अ0सं 207/21 धारा 272/273/304/120बी/420/467/468/471 भादवि व 60(1) 60(ए),72 आबकारी अधि0 थाना डौकी जनपद आगरा।

**फरार/वांछित अभियुक्तों का विवरण:-**

01. रामू पुत्र गोवर्धन निवासी करौंधना थाना इरादतनगर जनपद आगरा।

02. गौतम पुत्र विजय सिंह निवासी टिकैतपुरा थाना डौकी जनपद आगरा।

03. विकास पुत्र संजू सिंह निवासी मुखरई थाना सैया जनपद आगरा।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. थानाध्यक्ष श्री शेर सिंह मय टीम थाना डौकी जनपद आगरा।

02. प्रभारी निरीक्षक श्री गौरव सब्बरवाल मय टीम थाना इरादतनगर जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा